संख्या-440/2018/4944/नौ-5-2018-53बजट/2018

प्रेषक,

राधे कृष्ण,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद, नवाबगंज,

जनपद-गोण्डा।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक25दिसम्बर, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जनपद-गोण्डा के पत्र संख्या-629/न0पा0प0/2018-19 दिनांक 29.11.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जनपद-गोण्डा में मो0 मुठ्ठीगंज वार्ड नं0-17 कालीकुण्ड मन्दिर के पास तालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु रू.30.00 लाख एवं नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जनपद-गोण्डा में मो0 मुठ्ठीगंज वार्ड नं0-3 शंकर जी शिवाला के पास स्थित तालाब के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु रू. 30.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 60.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए समस्त धनराशि रू० 60.00 लाख (रू० साठ लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी /कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/ पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-66/2016/1120/नौ-5-2016-42बजट/2016 दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

7. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

8. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

9. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्राराम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

10. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।

11. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

12. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय लेखाशीर्षक '2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-07-नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या-440/2018-4944(1)/नौ-5-2018-53बजट/2018, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. इलाहाबाद।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन।
4- जिलाधिकारी, गोण्डा।
5- कोषाधिकारी, गोण्डा।
6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, जनपद-गोण्डा।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त आय-व्ययक(अनुभाग-1/2)
9- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर सृजन, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

Tiwari || Go 2018 VC

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-24/12/2018

प्रेषण संख्या:- 440
आवंटन आदेश संख्या:- 001-440-2018-4944-9-5-2018-53B-2018
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
07 - नगरीय झील / तालाब / पोखर संरक्षण योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	गोण्डा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 6000000	6000000 6000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	6000000 6000000	6000000 6000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया साठ लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया साठ लाख

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव